राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा संघ

कमरा नं. 143, संभागीय कर भवन, जे-12, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-14

जी.एस.टी. आज तक

THE OFFICIAL NEWSLETTER OF RAJASTHAN COMMERCIAL TAXES SERVICE ASSOCIATION

इश्यू 1 फरवरी 2018

इस अंक में

01
- कंपोजिशन की दर तथा करदेयता मे परिवर्तन
- कंपोजीशन में रिवर्स चार्ज पर विचार

02
- अन्य अपडेट्स
- पोर्टल अपडेट
- अधिसूचना सार

03
- ई–वे बिल

04
- कर दरों में बदलाव

05
- मोटर वाहनों की SGST कर दर
- लेट फीस वेवर संबंधित अधिसूचनाऐं

कंपोजिशन की दर तथा करदेयता मे परिवर्तन

राज्य सरकार द्वारा दि. 1/1/2018 को जारी अधिसूचना F.12(46)FD/Tax/2017-Pt.III-157 में कंपोजिशन की दर तथा करदेयता मे परिवर्तन किया है तथा दि. 30/6/2017 की अधिसूचना में संशोधन किया है।

Manufacturers के लिए कंपोजिशन की SGST दर 1% से घटाकर 0.5% कर दी गई ।

Manufacturers को संपूर्ण turnover पर कर देना होगा।

Traders को केवल taxable supplies पर ही कर देना होगा ना कि संपूर्ण turnover पर।

रेस्टोरेंट जो अनुसूची II के 6(b) में उल्लिखित हैं पर SGST दर 2.5% यथावत रखी गई है।

कंपोजीशन में रिवर्स चार्ज पर विचार

जीएसटी के बाद 16 लाख कंपोजीशन के सप्लायर्स से केवल 300 करोड़ रु का राजस्व मिलने से सरकार करापवंचन को रोकने हेतु कंपोजीशन में रिवर्स चार्ज को लागू करने पर विचार कर रही है। कंपोजीशन टर्नओवर की सीमा 1 करोड़ वार्षिक हो चुकी है तथा जीएसटी काउंसिल द्वारा इसे बढ़ाकर 1.5 करोड़ करने का निर्णय किया जा चुका है, जो संबंधित अधिनियमों में संशोधन के बाद लागू होगा अत: कंपोजीशन लेकर करापवंचन की प्रवृति पर लगाम लगाने हेतु रिवर्स चार्ज लाया जा सकता है।

सम्पादक की कलम से

सम्मानित सदस्यगण,

आप सबको यह जानकर हर्ष होगा कि सेवा संघ जीएसटी के वर्तमान युग में सदस्यों की capacity building और उन्हें अद्यतन रखने हेतु मासिक न्यूज़ लैटर "जीएसटी-आज तक" शुरू कर रहा है। इसमें:-

1. माह के दौरान विधिक गतिविधियॉ यथा एक्ट-रूल्स मे परिवर्तन ,सर्कुलर, अधिसूचनाएँ,'इत्यादि का सार एवं निहितार्थ सरल भाषा में ।

2. माह के दौरान पोर्टल पर होने वाले परिवर्तन इत्यादि जानकारियाँ होंगीं। यह जानकारी सरल, सुग्राहय और हिंदी भाषा में होगी मासिक न्यूजलैटर का प्रथम अंक फ़रवरी 2018 आप तक पहुँच रहा है।

सदस्यों से निवेदन है कि इसमें सुधार हेतु मार्गदर्शन प्रदान करें।

-संपादक मंडल

अन्य अपडेट्स

•यदि कोई शैक्षणिक संस्थान द्वारा अपनी mess व केन्टीन में faculty तथा स्टॉफ को केटरिंग सेवा उपलब्ध करवाता है तो यह सेवा exempted होगी।

•यदि उस शैक्षणिक संस्थान की मेस व केन्टीन में किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा केटरिंग सेवा यथा-भोजन व पेय पदार्थ उपलब्ध करवाये जाते हैं तो यह 5 प्रतिशत कर देय होगा (बिना आईटीसी लाभ के) effective from 15.11.17

•जी.एस.टी REG-29 (cancellation of registration) की डेट बढाकर 31 मार्च, 2018 की गयी है।

अधिसूचना सार

•पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी की गतिविधियों से सम्बन्धित सरकार को की गई कम्पोजिट सप्लाई जिसमें वस्तुओं का मूल्य कुल सप्लाई का 25 प्रतिशत से अधिक न हो, को कर से मुक्त किया गया है।

•30 सितम्बर, 2018 तक किसी एयरक्राफ्ट द्वारा भारत के कस्टम क्लीयरेन्स स्टेशन से भारत के बाहर के स्थान तक गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन की सेवायें कर से मुक्त

•30 सितम्बर, 2018 तक किसी vessel द्वारा भारत के कस्टम क्लीयरेन्स स्टेशन से भारत के बाहर के स्थान तक गुड्स के ट्रान्सपोर्टेशन की सेवायें कर से मुक्त

•आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्रदान करने की सेवायें कर से मुक्त

(F.12(56)FD/Tax/2017-Pt.-II-167)

•जीएसटी एक्ट के तहत पंजीकृत व्यक्ति के केन्द्र/राज्य सरकार, यू.टी. या स्थानीय ऑथोरिटी द्वारा अचल सम्पत्ति किराये पर देने की सेवा को आर.सी.एम. में सम्मिलित किया गया है। उक्त सेवा में कर रिवर्स चार्ज द्वारा ही देय होगा।

(F.12(56)FD/Tax/2017-Pt.-II-168)

पोर्टल अपडेट

•फार्म GST REG 16- नये पंजीकृत करदाताओं के लिये पंजीयन केन्सलेशन की एप्लीकेशन उपलब्ध

•GST REG 16 - कम्पोजिशन डीलर हेतु अक्टूबर-दिसम्बर 17 की तिमाही के लिये रिटर्न तैयार करने हेतु ऑफ लाइन यूटीलिटी

•फार्म GSTR 11– UIN person के लिए इनवर्ड सप्लाई स्टेटमैन्ट तैयार करने के लिए offline यूटीलिटी

•ITC 01& sec 18(1) के तहत आई.टी.सी. क्लेम करने हेतु declaration उपलब्ध

" The old India was economically fragmented, the new India will create one tax, one market and for one nation. "

Arun Jaitely

Hon'ble Finance Minister

ई–वे बिल

मुख्य बिंदु

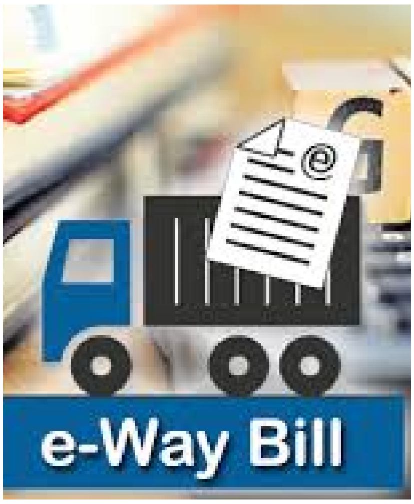

ई–वे बिल के जनरेषन के modes:

–वेबसाईट द्वारा ऑनलाईन
– SMS
– Mobile App
– API based
–टूल आधारित बडी मात्रा में जनरेशन
–सुविधा प्रदाताओं के माध्यम से तीसरे पक्ष द्वारा

"GST is a tribute to the maturity and wisdom of India's democracy."

Pranab Mukharji
Former Hon'ble President of India

- ई-वे बिल सिस्टम में माल का अन्तर्राज्यीय गमनागमन अनिवार्य रूप से ई-वे बिल समर्थित होगा।
- ई-वे बिल हेतु कॉमन पोर्टल – http://ewaybill.nic.in
- ई-वे बिल की वैधता पार्ट-बी में प्रथम प्रविष्टि से प्रारम्भ होगी।
- एक ई-वे बिल गंतव्य तक पहुंचने से पहले ट्रांसपोर्टेशन के एकाधिक प्रकार से होकर गुजर सकता है। इसके लिए प्रत्येक नये परिवहन प्रकार पर 'update vehicle no.' का प्रयोग कर ई-वे बिल अपडेट किया जा सकता है।
- सेल्स रिटर्न के केस में एक और ई-वे बिल जनरेट किया जा सकता है।
- 'bill to' और 'ship to' के केस में दो ई-वे बिल जारी होंगे।
- अपंजीकृत ट्रांसपोर्टर के लिए सिस्टम में एनरोल करने पर 15 डिजिट का TRANSIN
- ई-वे बिल जनरेशन पर ईबीएन नम्बर जनरेट होगा जोकि सप्लायर, प्राप्तकर्ता व ट्रांसपो्टर को पोर्टल पर उपलब्ध होगा।
- वाहन में 50 हजार से अधिक मूल्य का माल लदा होने पर ट्रांसपोर्टर को कन्सोलीडेटेड ई-वे बिल जारी करना होगा। जैसे- परचून वाहन के केस में।
- ई-वे बिल को जनरेशन के 24 घण्टों के भीतर कैन्सिल किया जा सकता है परन्तु परिवहन के दौरान सत्यापन कर लिये जाने पर कैन्सिल नहीं किया जा सकता।
- ई-वे बिल की वैधता 100 किलोमीटर तक एक दिन तथा प्रत्येक 100 कि.मी. या उसके भाग पर एक दिन अतिरिक्त ।
- ई-वे बिल की वैधता की अवधि जनरेशन के समय से प्रारम्भ होगी। जैसे-यदि दिनांक 01.02.2018 को सांयः 4.00 बजे ई-वे बिल जनरेट किया गया है तो उसकी वैधता 100 कि.मी. तक 02.02.2018 के सांयः 4.00 बजे तक रहेगी। यह एक दिन माना जायेगा।
- ई-वे बिल से सम्बन्धित प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 129 के तहत कार्यवाही ।

Schedule I में शामिल (SGST दर 2.5 प्रतिशत) :
–मेहंदी पेस्ट
–राइस ब्रान (De-oiled राईस ब्रान के अतिरिक्त)
–घरेलू उपयोग हेतु उपभोक्ता को सप्लाई की गयी एल.पी.जी.

Schedule II में शामिल (SGST दर 6 प्रतिशत) :
–शूगर बॉयल्ड कन्फेक्शनरी (entry no.32 ।।)
–20 लीटर की बोतल में पैक्ड पेयजल
–बायो डीजल
–लकडी के टेबिल वेयर व किचनवेयर

Schedule III में शामिल (SGST दर 9 प्रतिशत) :
–आयरन व स्टील के सेनेटरी वेयर व पार्ट्स
–बायो फ्यूल से चलने वाली public transport हेतु प्रयुक्त बसें

Schedule IV में शामिल (SGST दर 9 प्रतिशत) :
–Actionable claim in the form of chance to win in betting , gambling or horse racing in race club

Schedule V में शामिल (SGST दर 14 प्रतिशत) :
–एन्ट्री संख्या 3 में Precious stones (other than diamond) व ungraded precious stones (other than diamond) को Schedule V से हटाकर Schedule VI (0.125 प्रतिषत) में सम्मिलित किया गया ।
–एन्ट्री संख्या–4 में से सिंथेटिक व रिकन्सट्रक्टेड प्रेसियस स्टोन्स को Schedule V से हटाकर Schedule VI (0.125 प्रतिशत) में सम्मिलित किया गया ।

–एन्टी संख्या 17 में इमीटेशन ज्यूलरी (other than bangles of lac/shellac)किया गया।
–एन्ट्री संख्या 13 में से other than bangles of lac/shellac को हटाया गया।

(F.12(56)FD/Tax/2017-Pt.-II-171)

" GST is an example of cooperative federalism. In reality it's 'Good and Simple Tax' "

Narendra Modi
Hon'ble Prime Minister

नोटिफिकेशन संख्या 41 (29.16.2017) में परिवर्तन–

Exempted में शामिल :

- Deoiled rice bran
- Cotton seed oil cake

(F.12(56)FD/Tax/2017-Pt.-II-172)

मोटर वाहनों की SGST कर दर

मोटर वाहनों की SGST- दर निम्न शर्ते के अधीन 9 प्रतिशत की गयी है:

एल.पी.जी.,सी.एन.जी. व पैट्रोल चालित वाहनों की शर्ते

1. वाहन पुराना व यूज्ड हो
2. वाहन क्षमता 1200सीसी या अधिक एवं लम्बाई 4000 एम.एम. या अधिक हो

डीजल चालित वाहनों की शर्ते

1. वाहन पुराना व यूज्ड हो
2. ईजन क्षमता 1500 सीसी या अधिक एवं लम्बाई 4000 एम.एम.

SUV हेतु शर्ते

1 वाहन पुराना व यूज्ड हो
2 इंजन क्षमता 1500सीसी से अधिक
3 वाहन की लम्बाई 4000 एम.एम. से अधिक तथा ground clearance 170 एम.एम. से अधिक

–उक्त के अतिरिक्त अन्य सभी वाहनों के लिए 6 प्रतिशत दर

(F.12(56)FD/Tax/2017-Pt.-II-173)

लेट फीस वेवर संबंधित अधिसूचनाऐं

दिनांक	अधिसूचना	रिटर्न का प्रकार	लेट फीस की राषि
23-01-18	F.12(46)FD/Tax/2017-Pt.-IV-159	GSTR-1	रू. 25/–प्रतिदिन से अधिक की समस्त लेट फीस माफ आउटवार्ड सप्लाई शून्य होने पर रू. 10/–से अधिक की समस्त लेट फीस माफ
23-01-18	F.12(46)FD/Tax/2017-Pt.-IV-160	GSTR-5	रू. 25/–प्रतिदिन से अधिक की समस्त लेट फीस माफ GST शून्य होने पर रू. 10/–से अधिक की समस्त लेट फीस माफ
23-01-18	F.12(46)FD/Tax/2017-Pt.-IV-161	GSTR-5A	रू. 25/–प्रतिदिन से अधिक की समस्त लेट फीस माफ IGST शून्य होने पर रू. 10/–से अधिक की समस्त लेट फीस माफ
23-01-18	F.12(46)FD/Tax/2017-Pt.-IV-162	GSTR-6	रू. 25/–प्रतिदिन से अधिक की समस्त लेट फीस माफ